न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 04 / 2016 / प्रतापगढ़
पंजीयन दिनांक– 08.07.2016
निर्णय दिनांक– 03.05.2019

श्री पीरसिंह पिता श्री मोहन सिंह राजपूत निवासी तहसील अरनोद व जिला प्रतापगढ़

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री मानदातार सिंह पिता श्री मोहन सिंह राजपूत निवासी तहसील अरनोद व जिला प्रतापगढ़
2. तहसीलदार अरनोद जिला प्रतापगढ़
3. श्री दिलीप पिता रेवाशंकर सुथार निवासी प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़।
4. श्री हेमु पिता रेवाशंकर सुथार निवासी प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़।
5. श्री मांगीलाल पिता वरदीचन्द सुथार निवासी प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़।
6. श्री ताराचन्द पिता वरदीचन्द सुथार निवासी प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़।
7. स्व. श्री लक्ष्मीचन्द पिता वरदीचन्द सुथार निवासी प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ के बजाय–
   7 / 1– श्रीमती विष्णुबाई पत्नी स्व. श्री लक्ष्मीचन्द सुथार निवासी प्रतापगढ़
   7 / 2– श्री रमेश सुथार पिता स्व. श्री लक्ष्मीचन्द सुथार निवासी प्रतापगढ़
8. श्री इन्द्रसेन पिता वरदीचन्द सुथार निवासी प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़।

.....रेस्पोडेन्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :–

श्री भारत सनाढ़्य	:	अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री संजय सैन	:	अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
श्री जयप्रकाश यादव		अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 8

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रतापगढ़
के प्रकरण संख्या 52/2015 निर्णय दिनांक 08.06.2016

निर्णय

दिनांक– 03.05.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 52/2015 निर्णय दिनांक 08.06.2016 के विरूद्ध दिनांक 05.07.2016 को पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ के प्र.स. 239/05 निर्णय दिनांक 26.09.2005 के आदेश की पालना में मौजा अरनोद का नामान्तरकरण संख्या 1168 तहसीलदार अरनोद द्वारा स्वीकृत किया गया। इस नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलान्ट पीरसिंह ने एक अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के यहां पेश की, जो दिनांक 01.04.2013 को मयाद के बिन्दु पर खारिज की गई। इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर में पेश की गई। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 42/2013 अपील निर्णय दिनांक 16.04.2013 से अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2013 को निरस्त करते हुए पक्षकारों को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय करने के निर्देश के साथ प्रकरण को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पो. सं. 1 श्री मानदातार सिंह द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई। न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निगरानी एल0आर0एक्ट सं0 2675/2014

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 12.08.2015 को निगरानी को खारिज करते हुए अति. जिला कलक्टर , प्रतापगढ़ को निर्देश दिये कि प्रार्थी मानदातार सिंह वगैरा द्वारा सुथार परिवार से जो भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र से क्रय की है, वह नामान्तरकरण संख्या 1168 के आधार पर क्रय की है अतः द्वितीय अपीलीय न्यायालय के रिमाण्ड आदेश की पालना में प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करते समय इस बिन्दु को भी ध्यान में रखा जावे जिससे कि उनके हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर द्वारा माननीय राजस्व मण्डल एवं इस न्यायालय के प्रतिप्रेषण आदेशों के क्रम में दिनांक 08.06.2016 को निर्णय पारित करते हुए अंकित किया कि मूल डिक्री पक्षकारान के प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर ही जारी की जाना, अपीलार्थी का राजीनामें पर आक्षेप नहीं होने तथा राजीनामा के आधार पर पारित बंटवारे की डिक्री की अपील नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 श्री मानदातार सिंह वगैरा द्वारा सथार परिवार से जो भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र क्रय की है, वह नामान्तरकरण संख्या 1168 के आधार पर क्रय की है। अतः विक्रय पत्र खारिज करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आने, अपीलार्थी विक्रय पत्र खारिज कराने बाबत सक्षम न्यायालय में दाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होने एवं अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज करने के आदेश पारित किये।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 08.06.2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 05.07.2016 को पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 3 से 8 के अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 24.04.2019 को सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट, रेस्पो. सं. 1 एवं रेस्पो. सं. 3 से 8 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। रेस्पो. सं. 2 बावजूद तामिल अनुपस्थित है तथा वे अन्यथा भी औपचारिक पक्षकारान है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के दौरान बताया कि अपीलान्ट एवं रेस्पो. सं. 1 व रेस्पोडेन्ट 3 से 8 के पिता के नाम से दर्ज

भूमि का रेकार्ड व नक्शे में गलत तरमीम होने से एक वाद अन्तर्गत धारा 88–188 का न्यायालय असिसटेन्ट कलक्टर, प्रतापगढ में दायर होकर दिनांक 26.09.2005 को राजीनामे से निर्णित हुआ। उक्त राजीनामे की पालना में न्यायालय द्वारा डिक्री जारी की गई। उक्त डिक्री की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1168 खोलकर तहसीलदार अरनोद ने तस्दीक किया। न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2005 को जारी डिक्री में श्री रेवाशंकर, लख्मीचन्द, मांगीलाल, इन्द्रसेन पिता वरदीचन्द सुथार को आ. नं. 830/3 रकबा 0.75 है., 2080/830 रकबा 0.74 है में से 0.25 है. पूर्वी तरफ का भाग व आ. नं. 1956/830 रकबा 3.06 है. में से 1.23 है. पूर्वी तरफ का भाग तथा श्री पीरसिंह, मानदातारसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत को आ. नं. 830 मी. रकबा 0.74 है., आ.नं. 2080/830 रकबा 0. 74 है. में से 0.49 है. पश्चिम तरफ की व आ. नं. 1956/830 रकबा 3. 06 है. में से 1.83 है. पश्चिम तरफ के भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया किन्तु तहसीलदार अरनोद द्वारा पारित नामान्तरकरण में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना नहीं कर अपीलान्ट श्री पीरसिंह व रेस्पो. सं. 1 श्री मानदातार सिंह के मध्य अपनी मनमर्जी से बटवाड़ा करते हुए नामान्तरकरण सं. 1168 स्वीकृत कर दिया गया, जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 26.09.2005 के निर्णय में अपीलान्ट एवं रेस्पो. सं. 1 के मध्य बटवाड़े का कोई आदेश पारित नहीं किया गया। विवादग्रस्त नामान्तरकरण डिक्री अनुसार खोला जाना चाहिये था। उक्त नामान्तरकरण की अपील हमारे द्वारा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, प्रतापगढ़ के यहॉ पेश की गई जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 01.04.2013 को मयाद के बिन्दु पर खारिज कर दी गई। उक्त निर्णय की अपील हमारे द्वारा न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त उदयपुर के यहां की गई। न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.04.2013 को निरस्त कर प्रकरण पक्षकारों को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई। उक्त निर्णय की निगरानी रेस्पो. सं. 1 द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में की गई। जो दिनांक 12.08.2015 को खारिज करते हुए अतिरिक्त कलक्टर प्रतापगढ़ को निर्देश दिये कि प्रार्थी मानदातार सिंह वगैरा द्वारा सुथार परिवार से जो भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र से क्रय की है, वह नामान्तरकरण संख्याा 1168 के आधार पर ही क्रय की है अतः द्वितीय अपीलीय न्यायालय के रिमाण्ड आदेश की पालना मे प्रकरण का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गुणावगुण पर निस्तारण करते समय इस बिन्दु को भी ध्यान में रखा जावे जिससे कि उनके हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। प्रकरण रिमाण्ड से न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, प्रतापगढ़ के यहां दर्ज हुआ एवं न्यायालय द्वारा बिना अपीलीय न्यायालय एवं राजस्व मण्डल के निर्णय पर मनन किये मात्र यह कह दिया कि राजीनामें के आधार पर पारित बंटवाड़े की डिक्री की अपील नहीं हो सकती है। रेस्पो. सं. 1 श्री मानदातार सिंह वगैरा द्वारा सुथार परिवार से जो भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र क्रय की है वह नामान्तरकरण संख्या 1168 के आधार पर ही क्रय की है। अतः विक्रय पत्र खारीज करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है अपीलार्थी विक्रय पत्र खारीज कराने बाबत सक्षम न्यायालय में दाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है एवं अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज कर दी गई। अपीलान्ट द्वारा न तो राजीनामे से पारित डिक्री पर अपील पेश की गई एवं न ही विक्रय पत्र तो निरस्त करने के संबंध में आक्षेप किया है। अपीलान्ट का तो मात्र यह कथन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा जारी डिक्री दिनांक 26.09.2005 की अक्षरशः पालना कराई जावें, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों को समझने में भारी भूल की है। न तो हम राजीनामे पर एतराज कर रहे है एवं न ही हमारा किसी विक्रय पत्र पर एतराज है हमारा एतराज तो राजीनामे के आधार पर जारी डिक्री की अक्षरशः पालना नहीं कर अपीलान्ट एवं रेस्पो. सं. 1 के मध्य तहसीलदार द्वारा नामा. सं. 1168 में मनमर्जी से किये गये बटवाड़े पर है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ के निर्णय दिनांक 26.09.2005 की पालना में जारी डिक्री अनुसार अक्षरशः पालना करते हुए नामान्तरकरण अपीलान्ट एवं रेस्पो. सं. 1 के नाम शामलाती रूप से दर्ज कराया जावें।

अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 ने अपनी लिखित बहस में बताया कि अपीलान्ट माननीय न्यायालय के समक्ष सही तथ्य के साथ अपील लेकर नहीं आया है। उक्त प्रकरण में पक्षकारों के पूर्वजों के बीच पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा निर्णय पारित किये गये है। उन सभी तथ्यों को अपीलान्ट द्वारा छिपाया जाकर अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ के समक्ष एक वाद उंकारलाल, रामचन्द्र व रेवाशंकर पिता खरबदास ब्राहमण निवासी अरनोद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा श्री गुलाबसिंह पिता जोरावर सिंह निवासी अरनोद के विरूद्ध धारा 88–188 के तहत प्रस्तुत किया था जिसका मु. नं. 372/86 था, जिसमं दिनांक 05.12.1988 को निर्णय पारित किया जाकर रेवेन्यू रेकार्ड में घोषणा के अनुसार अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। इस निर्णय व डिक्री में आ. नं. 830 मी. रकबा 1.17 है. पूर्वी तरफ व आ. नं. 1956/830 रकबा 1.37 है. पूर्वी तरफ के बारे में बादीगण (रेवाशंकर आदि) को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया तथा बकाया आ. नं. 830 मी. रकबा 1.07 है. पश्चिमी तरफ व आ. नं. 1956/830 रकबा 1. 69 है. पश्चिमी तरफ का प्रतिवादी (गुलाब सिंह) को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। बाद में उंकारलाल बनाम गुलाब सिंह के इजराय प्र. सं. 42/90 में तहसीलदार को पालना हेतु आदेश दिये गये किन्तु उक्त आदेश की पालना तत्कालीन तहसीलदार द्वारा नहीं की गई। उपरोक्त आराजीयात रेवाशंकर, लक्ष्मीचन्द, मांगीलाल व इन्द्रसेन पिता वरदीचन्द सुथार निवासी प्रतापगढ़ ने क्रय की । उसके पश्चात् सुथार परिवार ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ के समक्ष धारा 88–89 आरटी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जिसका प्र सं. 239/2005 होकर दिनांक 26.09.2005 को निर्णय पारित हुआ एवं पूर्व अनुसार निर्णय व डिक्री आपसी राजीनामे से पारित की गई। इस निर्णय के आधार पर इन्तकाल नं. 1168 खोला गया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह दूसरी अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। मौजूदा अपीलान्ट व रेस्पो. सं 1 के दादा श्री गुलाब सिंह जी ने जरिये वसीयत नामे के आधार पर सम्पूर्ण आराजीयात अपीलान्ट व रेस्पो. सं. 1 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज हुई । रेस्पो. सं. 1 ने अपने बड़े भाई पीर सिंह (अपीलान्ट) के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53–88 आर.टी.एक्ट के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ के यहां प्रस्तुत किया जिसका प्रकरण सं. 277/2004 होकर प्रकरण में आपसी राजीनामे के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसके आधार पर अपीलान्ट व रेस्पों. सं. 1 के नाम पर रेस्पो. सं. 1 मानदातार सिंह के नाम आ. नं. 65 रकबा 1.70, 124 रकबा 0.64, 184 रकबा 0.94, 316 रकबा 2.15, 833 रकबा 0.04, 834 रकबा 0.12, 867 रकबा 0.61, 870 रकबा 0.09, 1957/871 रकबा 0.11, 1956/830 रकबा 2.08 कुल किता 10 रकबा 8.48 तथा अपीलान्ट श्री पीरसिंह के नाम आ. नं. 6 रकबा 3.54, 213

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रकबा 1.42, 220 रकबा 1.01, 270 रकबा 0.57, 271 रकबा 0.88, 272 रकबा 0.07, 1956/830 रकबा 0.98 कुल किता 7 रकबा 8.47 भूमि इन्तकाल नं. 1154 से आपसी बटवाड़ा से अमल दरामद किया गया। बंटवाड़े के पश्चात् अपीलान्ट के मन में बदयान्ति आ जाने से अपीलान्ट ने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2005 के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की जिसके प्रकरण सं. 3/09 होकर निर्णय दिनांक 16.03.2010 से अपील अपीलान्ट खारिज की गई। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा कोई निगरानी अपीलीय न्यायालय में नहीं गई। जिससे दिनांक 25.05.2005 के निर्णय व डिक्री अंतिम रही व रेवेन्यू रेकार्ड में भी अमल दरामद हो दोनों भाई बंटवाड़े अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। अपीलान्ट व रेस्पो. सं. 1 के मध्य पूर्व में निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2005 के आधार पर बंटवाड़ा हो चुका है तथा दिनांक 25.04.2005 का निर्णय व डिक्री आज दिनांक तक निरस्त नहीं कराया गया है इसलिए जब तक निर्णय व डिक्री निरस्त नहीं करा दी जाती तब तक संयुक्त खातेदारी का इन्तकाल कानूनन खोला जाना संभव नहीं है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

रेस्पो. सं. 6 से 8 ने अपनी लिखित बहस में बताया कि रेस्पो. सं. 3 से 8 व अपीलान्ट व रेस्पो. सं. 1 के विरूद्ध शामलाती रूप से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधि. का न्यायालय सहायक जिलाधीश प्रतापगढ़ में दिनांक 02.09.2005 को सेटलमेन्ट के समय हुई रकबे व नक्शे में गलत तरमीम की अशुद्धि को शुद्धिकरण कराने हेतु प्रस्तुत किया था, जिसके प्रकरण संख्या 239/05 रे.वाद थे। उक्त वाद में सभी पक्षकारान के मध्य दिनांक 20.09.2005 को राजीनामा हो गया एवं उसी राजीनामे अनुसार दिनांक 26.09.2005 को न्यायालय द्वारा डिक्री जारी की गई। उक्त डिक्री व राजीनामा अनुसार पीरसिंह व मानदातार सिंह ने शामलाती रूप से ही जमीन लेने हेतु राजीनामा किया था। जिस पर डिक्री की पालना में तहसीलदार अरनोद द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1168 खोला गया। जिसमें हम रेस्पो. सं. 3 से 8 के नाम तो शामलाती रूप से नामान्तरकरण खोला गया परन्तु अपीलान्ट व रेस्पो. सं. 1 के नाम शामलाती नामान्तरकरण न खोलकर बंटवाड़ा करते हुए अलग–अलग नामान्तरकरण खोल दिया जो कि डिक्री व राजीनामा अनुसार सही नहीं था एवं उससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने अपील न्यायालय में प्रस्तुत की। रेस्पो. सं. 3 से 8 पीर सिंह व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मानदातार सिंह के पड़ौसी है एवं अपीलान्ट व रेस्पो. सं. 1 को जमीन उनके दादाजी से जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। रेस्पो. सं. 3 से 8 ने मानदातार सिंह को आज दिनांक तक कोई जमीन विक्रय नहीं की है। यह तथ्य हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में भी बताया गया था परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस तयि पर गौर न करते हुए मेरिट पर बिना कुछ कहे ही अपना निर्णय किया है जो कि गलत होकर निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उच्च न्यायालयों के रिमाण्ड आदेशों का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन नहीं किया है ओर ना ही विवाद के बिन्दु पर कोई फाईण्डिग दी है। अधीनसि न्यायालय ने मनमाने पूर्वक जो आदेश दिया है वह निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त फरमाते हुए राजीनामा डिक्री अनुसार शामलाती रूप से नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश प्रदान करावें।

अधीवक्ता अपीलान्ट द्वारा भी लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो पत्रावली के रेकर्ड पर उपलब्ध है तथा उसमें अपीलान्ट द्वारा मूलतः अपील मेमो में उठाये गये उज्र आधार पर ही अपनी लिखित बहस पेश की है, जिसे पुनः उद्धृत किये जाने की उपादेयता नहीं है।

उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में यह स्थिति सुस्पष्ट है कि सहायक कलक्टर, प्रतापगढ़ के यहां मुकदमा संख्या 239/05 अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टि.ए. में दिनांक 26.09.2005 को पक्षकारान/उनके पूर्वज वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 8 तथा अपीलान्ट श्री पीरसिंह व रेस्पो. सं. 1 श्री मानदातार सिंह के मध्य राजीनामा डिक्री पारित हुई, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 3 से 8 को आराजी नम्बर 830/3 रकबा 0.75 है., आराजी नम्बर 2080/830 रकबा 0.74 है. में से 0.25 है. पूर्वी तरफ का भाग व आराजी नम्बर 1956/830 रकबा 3.06 है. में से 1.23 है. पूर्वी तरफ का भाग दिया तथा प्रतिवादी अपीलान्ट पीरसिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मानदातार सिंह को संयुक्त रूप से आराजी नम्बर 830 मी. रकबा 0.74 है., आराजी नम्बर 2080/830 रकबा 0.74 है. में से 0.49 है. पश्चिम की तरफ व आराजी नम्बर 1956/830 रकबा 3.06 है. में से 1.83 है. पश्चिम तरफ का भाग दिया। न्यायालय सहायक कलक्टर के उक्त राजीनामा प्रकरण की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1168 दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के संयुक्त रूप से उपरोक्त डिक्री अनुसार दी गई आराजीयात का विभाजन भी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पीरसिंह व मानदातार सिंह को क्रमशः पीरसिंह को आराजी नम्बर 2257/2243/1356 /830 रकबा 0.60 है.,आराजी नम्बर 2253/2080/830 रकबा 0.38 है. कुल किता 2 रकबा 0.98 है. तथा मानदातार सिंह को आराजी नम्बर 830 मी. रकबा 0.74 है., आराजी नम्बर 2080/830 रकबा 0.50 है. तथा आराजी नम्बर 2252/2249/1956/830 रकबा 1.23 है. भूमि का नामान्तरकरण दर्ज कर फैसल कर दिया। अपीलान्ट का उज्र यह है कि हस्ब राजीनामा डिक्री आराजी नम्बर 830 मी., 2080/830 व 1956/830 को अथवा उनके आंशिक भाग को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम संयुक्त रूप से हस्ब राजीनामा डिक्री रखा गया था, परन्तु तहसीलदार द्वारा उक्त डिक्री के इजराय के समय उक्त संयुक्त भूमि का न्यायालय या अन्य किसी सक्षम आदेश के बिना भूमियों का स्वेच्छा से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य विभाजन कर दिया। तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1168 में इस प्रकार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य राजीनामा से हुई डिक्री से प्राप्त दोनों को संयुक्त आराजीयात का विभाजन न्यायालय आदेश से पृथक या अन्य किसी सक्षम आदेश के बिना किया जाना त्रुटिपूर्ण होने से नामान्तरकरण संख्या 1168 त्रुटिपूर्ण है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का यह कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट पीरसिंह के विरूद्ध सहायक कलक्टर के यहां विभाजन व धोषणा के अन्य वाद में दिनांक 25.05.2005 को एक अन्य प्रकरण में पक्षकारान के मध्य विभाजन की डिक्री होकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त आराजीयात का विभाजन कर दिया गया था एवं तद्नुसार ही उक्त आदेश का भी अनुपालन संयुक्त आराजीयात में विभाजन के लिए किया गया है, तद्नुसार नामान्तरकरण संख्या 1168 उचित है।

हमारे द्वारा प्रकरण संख्या 277/04 जो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य जो विभाजन का प्रकरण है उसका अवलोकन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य जो विभाजन की अन्तिम डिक्री दिनांक 25.05.2005 को पारित हुई है, उसमें वर्णित अनुसार भी विभाजन की पालना नामान्तरकरण संख्या 1168 में नहीं हुई है तथा दिनांक 25.05.2005 को अपीलान्ट व रेस्पो. सं. 1 के मध्य जो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विभाजन हुआ है उसकी पालना रेस्पो. सं. 1 पृथक से कराने को स्वतंत्र है परन्तु सहमति राजीनामा के आधार पर प्रकरण संख्या 239/05 में पारित डिक्री की पालना में जो नामान्तरकरण संख्या 1168 दर्ज किया गया है वह आदेश के अनुसार नहीं है तथा अन्य प्रकरण संख्या 277/04 की सहसंबंद्धता इस प्रकरण से नहीं है वह विधि अनुसार पालना करवाने के लिए पृथक प्रकरण हो सकता है (हालांकि नामान्तरकरण संख्या 1168 में 277/04 की पालना होना भी प्रकट नहीं होता), तहसीलदार के लिए यह लाजमी था कि वह प्रकरण संख्या 239/05 में पारित सहमति राजीनामा की अपीलान्ट व रेस्पो. सं. 1 के मध्य संयुक्त रूप से दी गई आराजीयात को तद्नुसार ही नामान्तरकरण निर्णित करते, न्यायालय आदेश से पृथक बिना किसी सक्षम आदेश के तहसीलदार द्वारा पारित किया गया उक्त निर्णय निसंदेह त्रुटिपूर्ण है एवं इसी कारण विश्लेषण के साथ इस न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या 42/13 में प्रकरण को अतिरिक्त जिला कलक्टर को निर्देश देते हुए उनके पूर्व निर्णय को अपास्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया था। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर द्वारा वर्तमान में प्रतिप्रेषण आदेशों के क्रम में प्रकरण संख्या 52/15 निर्णय दिनांक 08.06.2016 में निम्नानुसार निर्णय/ निष्कर्ष प्रतिपादित किया हे–

" प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का एवं उभयपक्षों की लिखित बहस का गहन अवलोकन किया गया। उक्त से यह स्पष्ट है एवं माननीय अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी माना गया है कि मूल डिक्री पक्षकारान के प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर ही जारी की गई है तथा अपीलार्थी का राजीनामें पर आक्षेप कहीं नहीं रहा है। राजीनामा के आधार पर पारित बंटवारे की डिक्री की अपील नहीं हो सकती। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्री मानदातार सिंह वगैरा द्वारा सुथार परिवार से जो भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र क्रय की है, वह नामान्तरकरण संख्या 1168 के आधार पर ही क्रय की है। अतः विक्रय पत्र खारीज करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अपीलार्थी विक्रय पत्र खारीज कराने बाबत् सक्षम न्यायालय में दाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। अतः अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से खारीज की जाती है।"

अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय तथ्यों से सुसंगत नहीं है, अपीलान्ट द्वारा राजीनामा डिक्री पर कोई आक्षेप नहीं किया है, न ही

अपीलान्ट द्वारा यदि मानदातार सिंह द्वारा सुथारों से कोई भूमि क्रय की है तो उस पर आपत्ति की है, अपीलान्ट का सिर्फ यह कथन है कि राजीनामा डिक्री की पालना में संयुक्त रूप से अपीलान्ट व रेस्पो. सं. 1 के मध्य रखी गई भूमि का विभाजन न्यायालय आदेश या अन्य सक्षम आदेश से पृथक जाकर नामान्तरकरण संख्या 1168 का जो निर्णय किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है। नामान्तरकरण संख्या 1168 के अवलोकन से भी प्रकट आता है कि सहमति राजीनामें में संयुक्त रूप से रखी गई अपीलान्ट व रेस्पो. सं. 1 के मध्य की भूमि का विभाजन तहसीलदार द्वारा निर्णित किया गया है, जिसके लिए नामान्तरकरण में कोई आधार वर्णित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को समझे बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय इस न्यायालय के पूर्व प्रतिप्रेषण आदेश एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी में दिये गये आदेशों से भी सुसंगत नहीं है तथा प्रतिप्रेषण आदेशों की पालना में अपीलान्ट द्वारा दिये गये रेकर्ड एवं साक्ष्य से पृथक जाकर पारित किया गया निर्णय है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 52/15 में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों, इस न्यायालय के पूर्व प्रतिप्रेषण आदेशों तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी निर्णय दिनांक 12 अगस्त, 2015 में दिये गये आदेशों के क्रम में उभय पक्षों को पुनः सुनकर आख्यापक निर्णय पारित करें, जो साक्ष्यों /रेकार्ड एवं तथ्यों से सुसंगत हो।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर उपरोक्त निर्णय की पालना में निर्देशानुसार कार्यवाही के लिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02 जुलाई, 2019 को उपस्थित रहें।

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल0एन0मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official